कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 2241 /XXV–12 /2008 (P–5)   देहरादून : दिनांक 18 अगस्त, 2017

सेवा में,

श्री अनूप कुमार,
ग्राम व पोस्ट– तुनवाला (अपर),
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 12 अगस्त, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण हेतु आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क, ख, एवं ग की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

(ख) यदि संगम या निकाय ऐसे प्रारंभ के पश्चात् बनाया जाता है तो उसके बनाए जाने की तारीख के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर किया जाएगा ।

(3) उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर संगम या निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के (चाहे ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव के रूप में जाना जाता है या किसी अन्य पदाभिधान से जाना जाता है) हस्ताक्षर होंगे और वह आयोग के सचिव को पेश किया जाएगा या ऐसे सचिव को रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा ।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :--

(क) संगम या निकाय का नाम ;

(ख) वह राज्य जिसमें उसका प्रधान कार्यालय स्थित है ;

(ग) वह पता जिस पर उसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं ;

(घ) उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम ;

(ङ) उसके सदस्यों की संख्या और यदि उसके सदस्यों के प्रवर्ग हैं तो प्रत्येक प्रवर्ग की संख्या ;

(च) क्या उसके कोई स्थानीय एकक हैं, यदि हैं, तो किन स्तरों पर हैं ;

(छ) क्या संसद् के या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी सदन में किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है ; यदि किया जाता है तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या ।

(5) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संगम या निकाय के, ज्ञापन या नियमों और विनियमों की चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, एक प्रति होगी और ऐसे ज्ञापन या नियमों और विनियमों में यह विनिर्दिष्ट उपबंध होगा कि वह संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा ।

(6) आयोग संगम या निकाय से ऐसी अन्य विशिष्टियां मंगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे ।

(7) आयोग अपने कब्जे में की यथापूर्वोक्त सभी विशिष्टियों और कोई अन्य आवश्यक और सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात् और संगम या निकाय के प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या तो उस संगम या निकाय को इस भाग के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने का, या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न करने का, विनिश्चय करेगा ; और आयोग अपना विनिश्चय ऐसे संगम या निकाय को संसूचित करेगा :

परंतु कोई संगम या निकाय इस उपधारा के अधीन राजनैतिक दल के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन या नियम और विनियम उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं ।

(8) आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(9) किसी संगम या निकाय के यथापूर्वोक्त राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् उसके नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते या किन्हीं अन्य तात्विक विषयों में कोई तब्दीली आयोग को अविलंब संसूचित की जाएगी ।]

[1][**29ख. राजनैतिक दलों का अभिदाय स्वीकार करने का हकदार होना**---कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राजनैतिक दल, सरकारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा उसे स्वेच्छया प्रस्थापित अभिदाय की कोई भी रकम स्वीकार कर सकेगा :

परन्तु कोई भी राजनैतिक दल विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित किसी विदेशी स्रोत से कोई अभिदाय स्वीकार करने का पात्र नही होगा ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं0 46 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 29ग के प्रयोजनों के लिए,---

(क) "कंपनी" से धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(ख) "सरकारी कंपनी" से धारा 617 के अर्थांतर्गत कोई कंपनी अभिप्रेत है; और

(ग) "अभिदाय" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293क में है और इसके अंतर्गत किसी राजनैतिक दल को किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित कोई संदान या अभिदान भी है; और

(घ) "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (31) में है किन्तु इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी और सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति नहीं है ।

29ग. राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा---(1) किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात्:--

(क) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक का अभिदाय ;

(ख) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सरकारी कंपनियों से भिन्न कंपनियों से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक अभिदाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट, किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष की उसकी आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व, निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) जहां किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां, ऐसा राजनैतिक दल, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के अधीन किसी कर राहत का हकदार नहीं होगा ।]

भाग 5

निर्वाचनों का संचालन

अध्याय 1--अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

[1][30. **नामनिर्देशनों आदि के लिए तारीखें नियत करना**---जैसे ही सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निकाली जाए वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा--

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख जो प्रथम वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले [2][सातवें दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है ;

---

[1] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 14 द्वारा धारा 30 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 7 द्वारा (20-9-1961 से) "दसवें दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) यदि पीठासीन आफिसर रुग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा जिसे [1][जिला निर्वाचन आफिसर] ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है ।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा ।

[2]* * * * *

27. पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य--मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान ऋजुता से हो मतदान केन्द्र में के पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य होगा ।

28. मतदान आफिसर के कर्तव्य---मतदान केन्द्र के मतदान आफिसरों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें ।

[3][**28क. रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना**---किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य आफिसर, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस आफिसर, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तद्नुसार ऐसे आफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे ।]

29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबंध---(1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के लिए या राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए [4]*** रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से वह स्थान नियत करेगा जहां कि ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान होगा और ऐसे नियत स्थान को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसे नियत स्थान में ऐसे निर्वाचन में पीठासीन होगा और अपनी सहायता के लिए ऐसा या ऐसे मतदान आफिसर नियुक्त करेगा जैसे वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है ।

[5][भाग 4क

राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण---(1) भारत के व्यष्टिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय, जो स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और जो इस भाग के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजनैतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन,--

(क) यदि संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 1) के प्रारंभ पर विद्यमान है तो ऐसे प्रारंभ के ठीक आगामी साठ दिन के भीतर किया जाएगा ;

---

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 12 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित और 2004 के अधिनियम सं0 2 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 5 द्वारा (15-3-1989 से) अन्तःस्थापित ।
[4] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 13 द्वारा "(प्राथमिक निर्वाचन से भिन्न)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया गया ।
[5] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 6 द्वारा (15-6-1989 से) अन्तःस्थापित ।

17/8/2017

दिनांक— 12.08.2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/अपर सचिव निर्वाचन,
उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय
04, शुभास मार्ग, देहरादून।

विषयः— सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्रार्थी, राजनीतिक पार्टी (Political Party) के चुनाव चिन्ह हेतु/अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराना चाहता है, जिससे कि उक्त चुनाव चिन्ह के अधीन चुनाव लड़ सके।

तदक्रम में महोदय से निवेदन है कि कृपया आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज/शासनादेश/नीति की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त वांछित सूचना हेतु रू 10/— का पोस्टल ऑर्डर संख्या 37F 811941 मूलरूप से संलग्न है। कृपया उपरोक्त सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रार्थी

अनूप कुमार
ग्राम व पोस्ट— तुनवाला (अपर)
देहरादून (उत्तराखण्ड)

संलग्न पोस्टल आर्डर की मूल प्रति।

श्री सेमवाला
आवेदक को अवगत कराया
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
की धारा 29 क, ख, ग प्रेषित करें
18-8-17
S.O
P.I.O.